



कर्मचारी भवषियनधिके तहत पेंशन हेतु आधार कार्ड लगाना अनविर्य

पृष्ठभूमि

केंद्र सरकार ने वर्ष 1995 की कर्मचारी पेंशन योजना से संबद्ध लगभग 2.5 करोड़ सदस्यों को पेंशन प्राप्त करने के लिये अपनी आधार संख्या को पेंशन खाते से संलग्न करने के लिये कहा है। ध्यातव्य है कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले सदस्यों में सर्वाधिक संख्या कर्मचारी भवषिय नधिके सदस्यों की है।

परमुख बदि

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कर्मचारी जनिके पास आधार कार्ड नहीं है, वे 31 जनवरी, 2017 तक आधार संख्या के लिये आवेदन कर सकते हैं।
- ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार द्वारा, ईपीएस (Employment Permit System) के तहत 6,500 रुपए से अधिक मासिक वेतन वाले कर्मचारियों के कुल वेतन के 1.16 फीसदी के समतुल्य सब्सिडी प्रदान की जाती है, जबकि कुल 8.33 फीसदी का भुगतान नयिकता द्वारा किया जाता है। परन्तु वैसे कर्मचारी जिन्होंने अपनी आधार संख्या अधिकारियों के पास जमा नहीं की है, उनके खातों में इस धनराशिका प्रवाह नहीं किया जाएगा।
- ध्यातव्य है कि कर्मचारी भवषिय नधि योजना के तहत संलग्नति सदस्य स्वचालति रूप से ईपीएस के अंतर्गत नामांकति हो जाते हैं।
- अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति आधार के तहत नामांकन करता है, तो केंद्र सरकार उस व्यक्ति को पेंशन सब्सिडी केवल उस स्थिति में प्रदान करेगी जब आवेदनकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेज (जिसमें नयिकता द्वारा जारी किया गया पहचान प्रमाण-पत्र तथा आधार के तहत किये गये नामांकन की प्रती भी शामिल की गई होगी) दिये जाएंगे।
- उक्त सभी दस्तावेजों को सीधे कर्मचारी भवषिय नधि संगठन (Employees' Provident Fund Organization- EPFO) के कार्यालय में भी जमा किया जा सकता है, या फिर किसी भी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज (मतदाता पहचान-पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अथवा अन्य कोई पहचान-पत्र) को किसी राजपत्रति अधिकारी (Gazetted Officer) द्वारा अनुमोदति कराया जा सकता है।
- वर्तमान में, ईपीएस के अंतर्गत न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। वस्तुतः न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा प्रदान कर चुका कोई भी कर्मचारी ईपीएस के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर सकता है।
- ध्यातव्य है कि पेंशन योजना को बढ़ावा देने के लिये केंद्र सरकार प्रतिवर्ष वार्षिक बजट में से तकरीबन 850 करोड़ रुपए की समर्थन राशिका प्रदान करती है।
- गौरतलब है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय पेंशन योजना से संबद्ध कर्मचारियों को प्रदत्त होने वाले लाभों को और अधिक सुवधाजनक बनाने के लिये कुछ प्रबंध करने की भी योजना बना रहा है।
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ईपीएस से संबद्ध सभी कर्मचारियों को आधार संख्या की अनविर्यता संबंधी सूचना प्रदत्त करने के लिये मीडिया प्रचार का प्रयोग करने की योजना बनाई गई है।

नषिकरष

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ईपीएस के तहत संलग्नति सभी कर्मचारियों के पास आधार संख्या मौजूद नहीं है। ऐसे में आधार के तहत नामांकन करने हेतु सरकार द्वारा प्रदत्त 31 जनवरी की समय सीमा एक बहुत की कम अवधिका समय है, इतने कम समय में सभी कर्मचारियों को आधार के अंतर्गत शामिल करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

कर्मचारी भवषिय नधि संगठन

- यह भारत सरकार का एक राज्य प्रोत्साहति अनविर्य अंशदायी पेंशन तथा बीमा योजना प्रदान करने वाला संगठन है।
- इसके मुखयतः 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं- दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता तथा चेन्नई।
- इस संगठन के प्रबंधकों में केंद्रीय न्यासी मंडल, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, नयिकता एवं कर्मचारी शामिल होते हैं।
- इस संगठन की अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा की जाती है।

